आज दिनांक 08 जुलाई, 2017 को माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में आयोजित की गयी राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा–138 एन0आई0 एक्ट से संबंधित एक वाद श्रीमती यशोदा मल्ल बनाम राज्य सरकार जोकि वर्ष 2006 से लम्बित चला आ रहा था, को लोक अदालत पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह वाद श्रीमती यशोदा मल्ल एवं श्री देवराज शर्मा के मध्य एक चैक बाऊस होने बाबत था।

उक्त लोक अदालत पीठ के माननीय न्यायमूर्तिगण श्री सुधांशु धूलिया एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी एवं श्री प्रशान्त जोशी, सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता श्री प्रेम कौशल एवं श्रीमती ममता जोशी के कुशल सहयोग से उपरोक्त वाद जोकि पिछले 11 वर्षों से लम्बित था, का सौहार्दपूर्ण तरीके से निस्तारण आज दिनांक 08 जुलाई, 2017 को आयोजित की गयी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह–समझौते के आधार पर किया गया।

मामले के पक्षकारों ने सुलह–समझौते के आधार पर 11 वर्षों से लम्बित मामले के निस्तारण पर प्रसन्नता व्यक्त की और माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु धूलिया के प्रयासों को सराहा और लोक अदालत के आयोजन को वादकारियों के हित में होना कहा।